को कठोर करके नए रास्तों की खोज कर रही है"। द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान, कनाडा के प्रधान मंत्री को भारत में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई।

Quota of Rice to Kerala

1121. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CON SUMER AFFAIRS AND PUBLIC DIS TRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for increase in the quota of the rice to the State of Kerala;

(b) whether it is a fact that the State Government has sent any proposal thereto; and

(c) if so, the decision taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) to (c) The Centra! Government makes bulk allocation of rice to all States/UTs including Kerala on a month to month basis, based on the availability of stocks in the Central Pool, inter-sc demand, offtake against allocated quantities and seasonal factors. Central Government has not received any proposal from Government of Kerala for increasing the overall monthly quota of rice *t<WI *J3&* tfferoif % WTO if Ufa

कोयला खान दुर्घटनाओं के संबंध में जांच प्रतिवेदन

1122. **चौधरी हरमोहन सिंह** :

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1989 से 1995 के बीच कोयला खानों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं के संबंध में जांच कार्य को अब तक पूरा नहीं किया है, और

(ख) यदि हां, तो उन दुर्घटनाओं, जिनकी जाचं पूरी कर ली गयी है और जिन दुर्घटनाओं की जांच अभी तक पूरी नहीं की गयी है, का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक ऐसी दुर्घटना जो प्राणघातक होती है, की खान सुरक्षा महानिदेशालय के किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों के दल द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। विस्फोटकों अथवा शाफ्ट के मैन वाइन्डिंग आपरेशनों के कारण होने वाली कतिपय गंभीर दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली गंभीर शरीर चोट के मामलों की भी खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। इसके अतिरिक्त कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियम सं. 41 (8) के अनुसार, संबंधित खान प्रबंधक के लिए सभी घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की जाचं कराना अपेक्षित किया गया है।

दो दुर्घटनाओं, जो क्रमश: 258-1-94, और 26-9-95 को मैं. ईस्टर्न कोलफोल्ड्स लि. के न्यू केडा कोयला खदान और मैं, भारतकोकिंग कोल लि. को गजलीटांड कोयला खदान में घटी को छोड़कर सभी घातक दुर्घटनाओं की जाचं पूरी की जा चुकी है। इन दुर्घटनाओं के लिए, सरकार ने खान अधिनियम, 1952 की धारा 24(2) के अधीन प्रदत्त परिस्थितयों की जांच करने के लिए घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों की जाचं करने के लिए दो अलग-अलग जाचं न्यायालय गठित किए हैं। जाचं न्यायालय की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

Sugar Production

1123. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether sugar production in the country during 1994-95 season exceeded the installed capacity of the sugar industry;

(b) if so, what is the estimated output of sugar in excess of the installed capacity of the sugar industry during the 1994-95 season;

(c) the States which have shown higher production of sugar that the installed capacity;

(d) whether with the increase sugar production Government propose to re duce the import of sugar, if so, by how much; and

(e) whether there is any likelihood of decrease in the prices of sugar in the open market consequent upon the excess sugar production in the country?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) The production of sugar during 1994-95 season was 145.85 lakh tonnes (Provisional) against the total installed production capacity of 122.1970 lakh tonnes as on 30-9-1995 showing a production of 23.653 Lakh Tonnes in excess of the installed capacity.

(c) The production of sugar during 1994-95 sugar reason was higher in the States of Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry and Goa than their installed sugar production capacities as on 30-09-1995.

(d) No further import of sugar is contemplated on Government Account at present.

(e) The free-sale sugar release mechanism is being regulated in a judicious manner in order to maintain the prices of sugar in the open market at reasonable level to the consumers as well as the producers to enable them to pay remunerative cane prices to the fanners.

चावल निर्यात में घोटाला

1142. **श्री ओ.पी. कोहली** :

श्री जनेश्वर मिश्र:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी 1996 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "फूड मिनिस्ट्री, एफ.सी.आई. एंड बिक गनज़ फेवरिंग राइस एक्सपोर्टर्ज़" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि निर्यातकों को कई करोड़ रूपयों का लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर पारेषण का मूल्य कम करते हुए खाद्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के शीर्षस्थ अधिकारियों के स्तर पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और चावल की कीमत कम करके जिन निर्यातकों को लाभ पहुंचाया गया है उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां * । सरकार को इस समाचार के सम्बंध में जानकारी है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उन्होनें सक्षम प्रधिकारियों द्वारा समय-समय पर यथाअनुमोदित मूल्य नीति के अनुसार निर्यात के लिए चावल की ब्रिकी की है । उच्च स्तरीय समिति द्वारा इस समय पंजाब मे निर्यात मूल्य जानबूझकर अधिक निर्धारित किए गए थे । ताकि खरीददार/मिलमालिक स्टाक को "लेवी चेनल" में पुनः न भेज (रिसाइकलिंग) सकें । प्रथम दृष्टाया समाचार में निर्दिष्ट आरोप सही नहीं है ।

उन चावलों निर्यातकों, जिन्हें चावल की सुपुर्दगी दी गई थी, की सूची विवरण में दी गई है ।

विवरण

प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के उन खरीदारों की सूची जिन्हें निर्यात के प्रयोजन के लिए चावल बेचा गया था

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम
2. खनिज तथा धातु व्यापार निगम
3. प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफॅ इंडिया लिमिटेड
4. मै. हमदन एक्सपोर्टर्स
5. मै. निर्मल कुमार भूरा एंड कम्पनी
6. मैं. बिशन सरूप राम किशन
7. कुन्दन राइस मिल्स
8. एल.टी. ओवरसीज़
9. मैं बी.एस.आई. लिमिटेड
10. मै. एस.एच.ग्रुप
11. मै. तन्ना एग्रो एम्पेक्स
12. मै. कोठारी ग्लोबल
13. मै. जिन्दल निर्यात
14. मै. सम्पात इंडस्ट्रियल कन्स. कम्पनी
15. मै. कोटक एण्ड कम्पनी
16. मै. टीना ऑयल एण्ड कैमिकल्स
17. मै. श्री रायर इम्पेक्स
18. कान्तिलाल एंड कम्पनी
19. मै. वी.के.एजेन्सीज़
20. तोराई ओवरसीज़ लिमिटेड
21. अनन्त त्रफीना
22. मै. सचदेवा एण्ड सन्स